



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 आश्विन 1939 (श0)
(सं0 पटना 962) पटना, शुक्रवार, 13 अक्टूबर 2017

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

13 अक्टूबर 2017

अधिसूचना सं0-31/2017- राज्य कर (दर)

एस०ओ० 213, दिनांक 13 अक्टूबर 2017—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 9 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 16 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद द्वारा गजट संख्या 554 दिनांक 29 जून, 2017 के तहत बिहार राजपत्र, असाधारण अंक, में प्रकाशित वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना सं0. 11/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा-

उक्त अधिसूचना में

(i) तालिका में, -

(क) क्रम संख्या 3 के समक्ष, -

(क) मद (iii) में, कॉलम (3) में, "सरकार, स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर "केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण अथवा सरकारी निकाय" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) मद (iv) में, कॉलम (3) में "किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी सरकारी प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर "किसी स्थानीय प्राधिकरण, किसी सरकारी प्राधिकरण अथवा किसी सरकारी निकाय" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

- (ग) मद (iii) और (V) में, कॉलम (5) में, मौजूदा प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:- "बशर्ते कि जहां सेवाओं की किसी सरकारी निकाय में आपूर्ति की जाती है, उन्हें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, द्वारा इसे सौंपे गए कार्यों के संबंध में सरकारी निकाय द्वारा खरीदा जाना चाहिए था";
- (घ) मद (Vi) के लिए कॉलम (3), (4) और (5) और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:

(3)	(4)	(5)
“(vii) बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खण्ड (119) में परिभाषित कार्य संविदा की समग्र आपूर्ति केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, एक सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी इकाई को प्रदान की गई है, जिसमें मुख्य रूप से धरती कार्य (जो कि कार्य संविदा के मूल्य का 75% से अधिक गठन का होता है) शामिल है।	2.5	बशर्ते कि जहां किसी सरकारी इकाई को सेवाएं दी जाती हैं, उन्हें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण, जैसा कि मामला हो, द्वारा सौंपे गए कार्यों के संबंध में सरकारी इकाई द्वारा प्राप्ति की जानी चाहिए ।
(Vii) यथोचित बेस लाइन के किसी निकटस्थ बिंदु से 12 समुद्री मील से दूर के क्षेत्र में तेल और गैस अन्वेषण और उत्पादन (ई एंड पी) से संबंधित अपतटीय काम संविदा के संबंध में बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खंड (119) में और संबंध सेवाओं में परिभाषित कार्यसंविदा की समग्र आपूर्ति।	6	-
(ix) उपरोक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (Vi) और (Vii) के अलावा अन्य निर्माण सेवाएं ।	9	-”;

- (ख) क्रम संख्या 8 के समक्ष, मद (ii) के लिए कॉलम (5) में "या" शब्द के लिए " और " शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;
- (ग) क्रम संख्या 8 के समक्ष, मद (Vi) के लिए कॉलम (3) में और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे संबंधित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
“(vi) यात्री को ले जाने के लिए डिजाइन किए गए किसी भी मोटर वाहन द्वारा यात्रियों का परिवहन जहां ईंधन की लागत को सेवा प्राप्तकर्ता से लिया जाता है।	2.5	बशर्ते कि व्यवसाय (अर्थात् किसी मोटर वाहन में यात्रियों को ले जाने या किसी मोटर वाहन को किराए पर दिए जाने के लिए किसी अन्य सेवा प्रदाता से प्राप्त सेवा) की समान लीक में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अलावा, सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया गया है । [कृपया स्पष्टीकरण सं०.(iv) देखें]
		या
	6	-”;

(घ) क्रम संख्या 9 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (V) और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे संबंधित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
“(v) पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस का परिवहन	2.5	बशर्ते कि सेवा की आपूर्ति में प्रयोग की गई वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है [कृपया स्पष्टीकरण सं०.(i v) देखें]
	या	
	6	-
(vi) उपरोक्त (i), (ii), (iii), (iv) और (v) के अलावा माल परिवहन सेवाएं	9	-”;

(ङ) क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (i) और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे संबंधित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
“(i) यात्रियों को ले जाने के लिए डिज़ाइन किए गए किसी भी मोटर वाहन को किराए पर लेना जहां ईंधन की कीमत सेवा प्राप्तकर्ता से लिए जाने हेतु विचारण में शामिल किया गया है।	2.5	बशर्ते कि सेवा की आपूर्ति में प्रयोग किए गए माल और सेवाओं पर लगाए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट, व्यापार की समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अतिरिक्त (अर्थात् किसी मोटर वाहन में यात्रियों को ले जाने या किसी मोटर वाहन को किराए पर दिए जाने के लिए किसी अन्य सेवा प्रदाता से प्राप्त सेवा) नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण सं०.(i v) देखें]
	या	
	6	-”;

(च) क्रम संख्या 15 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (V) और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे संबंधित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
“(v) 1 जुलाई 2017 से पहले खरीदे और पट्टे पर दिए गए वाहनों की पट्टेदारी;	माल में अधिकार (टाइटल) के हस्तांतरण से जुड़े ऐसे माल की आपूर्ति पर लागू राज्य कर की दर का 65 प्रतिशत । नोट:- इस प्रविष्टि में निहित कुछ भी 1 जुलाई, 2020 या उसके बाद लागू नहीं होगा।	-
(vi) उपरोक्त (i), (ii), (iii), (iv), और (v) के अलावा वित्तीय और संबंधित सेवाएं	9	-”;

(छ) क्रम संख्या 17 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (vi) और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे संबंधित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
“(vi) 1 जुलाई 2017 से पहले खरीदे और पट्टे पर दिए गए वाहनों की पट्टेदारी;	माल में अधिकार (टाइटल) के हस्तांतरण से जुड़े ऐसे माल की आपूर्ति पर लागू राज्य कर की दर का 65 प्रतिशत । नोट:- इस प्रविष्टि में निहित कुछ भी 1 जुलाई, 2020 या उसके बाद लागू नहीं होगा।	-
(vi) उपरोक्त(i), (ii), (iii), (iv), (v) और (vi) के अतिरिक्त, ऑपरेटर के साथ या उसके बिना पट्टे पर या किराये की सेवाएं,	माल में अधिकार (टाइटल) के स्थानान्तरण से जुड़े जैसे माल की आपूर्ति पर लागू होने वाले राज्य कर की समान दर	”;

(ज) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) में, -

(i) मद (i) में, उप-मद (ग) हेतु, निम्नलिखित उप-मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(ग) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में अध्याय 71 के तहत आने वाले सभी उत्पाद;”;

(ii) मद (i) में, उप-मद (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-मद को समाविष्ट किया जाएगा:-

“(घक) अध्याय 48 या 49 के तहत आने वाले सभी सामानों की छपाई, जिस पर 2.5 प्रतिशत या शून्य की दर से बीजीएसटी लगती है;”;

(iii) मद (i) में, उप-मद (ड.) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-मदों को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -

“(च) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में अध्याय 1 से 22 के तहत आने वाले सभी खाद्य और खाद्य उत्पाद;

(छ) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में अध्याय 23 के तहत आने वाले उत्पाद, सिवाए उक्त अध्याय की टैरिफ मद 23091000 के तहत आने वाली खुदरा ब्रिक्री हेतु रखे जाने वाला कुत्ते और बिल्ली का भोजन के;

(ज) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में टैरिफ मद 69010010 के तहत आने वाली मिट्टी ईंटों का निर्माण;”;

(iv) कॉलम (3) में मद (i) के पश्चात् और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे संबंधित प्रविष्टियाँ हेतु निम्नलिखित को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
“(ik) निम्नलिखित के संबंध में नौकरी के काम के माध्यम से सेवाएं- (क) छाते का निर्माण; (ख) अध्याय 48 या 49 के अंतर्गत आने वाले सभी माल का मुद्रण, जिसपर 6 प्रतिशत की दर से बीजीएसटी लगती है ।	6	”;

(v) मद (ii) में उप-मद (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-मद को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ग) अध्याय 48 या 49 के अंतर्गत आने वाले सभी माल का मुद्रण, जिसपर 2.5 या शून्य प्रतिशत की दर से बीजीएसटी लगती है।”;

(vi) कॉलम (3) में मद (ii) के पश्चात् और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे संबंधित प्रविष्टियाँ हेतु निम्नलिखित को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
“(ii) अध्याय 48 या 49 के अंतर्गत आने वाले सभी माल का मुद्रण, जिसपर 6 प्रतिशत की दर से बीजीएसटी लगती है, के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित वस्तुओं पर किसी भी संव्यवहार या प्रक्रिया के माध्यम से सेवाएं।	6	-”;

(vi) मद (iii) में, कोष्ठकों आंकड़ों और शब्दों “और (ii)” के लिए कोष्ठक, आंकड़े और शब्द “(i), (ii) और (ii)” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(इ) क्रम संख्या 27 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (i) और कॉलम (3), (4) और (5) में इससे संबंधित प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -

(3)	(4)	(5)
(i) अध्याय 48 या 49 के तहत आने वाले सभी सामानों के मुद्रण के माध्यम से सेवाएं [समाचार पत्रों, किताबें (ब्रेल पुस्तकें सहित), पत्रिकाओं (जर्नल्स) और पत्रिकाओं (पीरियोडिक्स) सहित], जिन पर 6 प्रतिशत या 2.5 प्रतिशत या शून्य की दर से बीजीएसटी लगता है, जहां केवल प्रकाशक द्वारा सामग्री की आपूर्ति की जाती है और मुद्रण हेतु प्रयोग किए गए कागज सहित भौतिक इनपुट प्रिंटर से संबंधित हैं।	6	-”;

(i) पैराग्राफ 2 में, “मद (i) पर” शब्दों और अंकों हेतु, “मद (i) पर, मद (iv) [उप-मद (ख), उप-मद (ग), उप-मद (घ)], मद (v) [उप-मद (ख), उप-मद (ग), उप-मद (घ)], मद (vi) [उप-मद (ग)]” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) पैराग्राफ 4 में, खण्ड (vii) के पश्चात, निम्नलिखित खण्ड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ix) “सरकारी प्राधिकरण” से अभिप्राय किसी ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड या अन्य किसी निकाय से है जिसका गठन,-

- (i) संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम; या
- (ii) किसी सरकार द्वारा,

किया गया हो और जिसमें साम्या या नियंत्रण के माध्यम से 90% या इससे अधिक की भागीदारी हो, और जिसका काम संविधान के अनुच्छेद 243 ब के अंतर्गत नगर निगम को या संविधान के अनुच्छेद 243 छ के अंतर्गत किसी पंचायत को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करना है।

(X) “सरकारी निकाय” से अभिप्राय किसी ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड या अन्य किसी निकाय (जिसमें सोसाइटी, ट्रस्ट, निगम भी आते हैं) से है जिसका गठन,-

- (i) संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम; या
- (ii) किसी सरकार द्वारा, किया गया हो और जिसमें साम्या या नियंत्रण के माध्यम से 90% या इससे अधिक की भागीदारी हो, और जिसका काम केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करना है।”।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017-31)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

13 अक्टूबर 2017

एस०ओ० 214, एस०ओ० 213 दिनांक 13 अक्टूबर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017-31)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 13th October 2017**Notification No.30/2017-State Tax (Rate)**

S.O. 213, dated 13th October 2017—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and sub-section (1) of section 16 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department No.11/2017- State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 554, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification,

(i) in the Table, -

(a) against serial number 3, -

- A. IN item (iii), in column (3), for the words “Government, a local authority or a Governmental authority”, the words “Central Government, State Government, Union territory, a local authority, a Governmental Authority or a Government Entity” shall be substituted;
- B. in item (vi), in column (3), for the words “a local authority or a Governmental authority” the words “a local authority, a Governmental Authority or a Government Entity” shall be substituted;
- C. in items (iii) and (vi), in column (5), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely: -
“Provided that where the services are supplied to a Government Entity, they should have been procured by the said entity in relation to a work entrusted to it by the Central Government, State Government, Union territory or local authority, as the case may be”;
- D. for item (vii), in columns (3), (4) and (5) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(vii) Composite supply of works contract as defined in clause (119) of section 2 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017, involving predominantly earth work (that is, constituting more than 75 per cent. of the value of the works contract) provided to the Central Government, State Government, Union territory, local authority, a Governmental Authority or a Government Entity.	2.5	Provided that where the services are supplied to a Government Entity, they should have been procured by the said entity in relation to a work entrusted to it by the Central Government, State Government, Union territory or local authority, as the case may be
(viii) Composite supply of works contract as defined in clause (119) of section 2 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 and associated services, in respect of offshore works contract relating to oil and gas	6	-

exploration and production (E&P) in the offshore area beyond 12 nautical miles from the nearest point of the appropriate base line.		
(ix) Construction services other than (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) and (viii) above.	9	-”;

(b) against serial number 8, for item (ii), in column (5), for the word “or” the word “and” shall be substituted.

(c) against serial number 8, for item (vi), in columns (3), (4) and (5) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(vi) Transport of passengers by any motor vehicle designed to carry passengers where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business (i.e. service procured from another service provider of transporting passengers in a motor vehicle or renting of a motor vehicle), has not been taken. [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]
		or
	6	-”;

(d) against serial number 9, for item (v), in columns (3), (4) and (5) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(v) Transportation of natural gas through pipeline	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]
		or
	6	-
(vi) Goods transport services other than (i), (ii), (iii), (iv) and (v) above	9	-”;

(e) against serial number 10, for item (i), in columns (3), (4) and (5) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(i) Renting of any motor vehicle designed to carry passengers where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business (i.e. service procured from another service provider of transporting passengers in a motor vehicle or renting of a motor vehicle) has not been taken. [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]
		or
	6	-”;

(f) against serial number 15, for item (v), in columns (3), (4) and (5) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(v) Leasing of motor vehicles purchased and leased prior to 1 st July 2017;	65 per cent. of the rate of State tax as applicable on supply of like goods involving transfer of title in goods. Note:- Nothing contained in this entry shall apply on or after 1 st July, 2020.	-
(vi) Financial and related services other than (i), (ii), (iii), (iv), and (v) above.	9	-”;

(g) against serial number 17, for item (vi) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(vi) Leasing of motor vehicles purchased and leased prior to 1 st July 2017;	65 per cent. of the rate of State tax as applicable on supply of like goods involving transfer of title in goods. Note:- Nothing contained in this entry shall apply on or after 1 st July, 2020.	-
(vii) Leasing or rental services, with or without operator, other than (i), (ii), (iii), (iv), (v) and (vi) above.	Same rate of State tax as applicable on supply of like goods involving transfer of title in goods	-”;

(h) against serial number 26, in column (3), -

- (i) in item (i), for sub-item (c), the following sub-item shall be substituted, namely: -
“(c) all products falling under Chapter 71 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);”;
- (ii) in item (i), after sub-item (d), the following sub-item shall be inserted, namely: -
“(da) printing of all goods falling under Chapter 48 or 49, which attract BGST @ 2.5 per cent. or Nil;”
- (iii) in item (i), after sub-item (e), the following sub-items shall be inserted, namely: -
 - (f) all food and food products falling under Chapters 1 to 22 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);
 - (g) all products falling under Chapter 23 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), except dog and cat food put up for retail sale falling under tariff item 23091000 of the said Chapter;
 - (h) manufacture of clay bricks falling under tariff item 69010010 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);”;
- (iv) after item (i), in columns (3), (4) and (5) and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(ia) Services by way of job work in relation to- (a) manufacture of umbrella; (b) printing of all goods falling under Chapter 48 or 49, which attract BGST @ 6 per cent.	6	-”;

- (v) in item (ii), after sub-item (b), the following sub-item shall be inserted, namely: -
“(c) printing of all goods falling under Chapter 48 or 49, which attract BGST @ 2.5 per cent. or Nil.”;
- (vi) after item (ii), in columns (3), (4) and (5) in column (3) and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(iia) Services by way of any treatment or process on goods belonging to another person, in relation to printing of all goods falling under Chapter 48 or 49, which attract BGST @ 6 per cent.	6	-”;

- (vii) in item (iii), for the word, brackets and figures “and (ii)” the figures, brackets, letters and word “, (ia), (ii) and (iia)” shall be substituted;

(i) against serial number 27, for item (i), in columns (3), (4) and (5) and the entries relating thereto in, the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
(i) Services by way of printing of all goods falling under Chapter 48 or 49 [including newspapers, books (including Braille books), journals and periodicals], which attract BGST @ 6 per cent. or 2.5 per cent. or Nil, where only content is supplied by the publisher and the physical inputs including paper used for printing belong to the printer.	6	-";

(ii) in paragraph 2, for the words, brackets and figures "at item (i)", the words, brackets, figures and letters, "at item (i), item (iv) [sub-item (b), sub-item (c) and sub-item (d)], item (v) [sub-item (b), sub-item (c) and sub-item (d)], item (vi) [sub-item (c)]" shall be substituted;

(iii) in paragraph 4, after clause (viii), the following clause shall be inserted, namely: -

"(ix) "Governmental Authority" means an authority or a board or any other body, -

- (i) set up by an Act of Parliament or a State Legislature; or
- (ii) established by any Government,

with 90 per cent. or more participation by way of equity or control, to carry out any function entrusted to a Municipality under article 243 W of the Constitution or to a Panchayat under article 243 G of the Constitution.

(x) "Government Entity" means an authority or a board or any other body including a society, trust, corporation,

- i) set up by an Act of Parliament or State Legislature; or
- ii) established by any Government,

with 90 per cent. or more participation by way of equity or control, to carry out a function entrusted by the Central Government, State Government, Union Territory or a local authority."

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-21/2017-31)]

By the order of Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

Commissioner-cum-Principal Secretary

Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

बिहार गजट (असाधारण) 962-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>